<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>23/03/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट तेहमुल सेथना द्वारा *"पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास केंद्र (ईआरडीसी)"* ट्रस्ट के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध शामिल हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि ट्रस्ट (ईआरडीसी) के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का जिम्मा सौंपे जाने के बाद, तेहमुल सेथना ने धोखे से एक ट्रस्टी के हस्ताक्षर लेकर बैंक खाता खोला और बाद में उसी हस्ताक्षर की जालसाजी करके अनधिकृत बियरर चेक जारी किए। इस कार्यप्रणाली के माध्यम से, उसने ट्रस्ट के बैंक खाते से ट्रस्टियों की जानकारी या सहमति के बिना लगभग **6.85 करोड़ रुपये** की धनराशि निकाल ली, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई और उसे 6.85 करोड़ रुपये का अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ।

इस मामले में, पहले एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था जिसमें आवासीय फ्लैटों और भूखंडों सहित विभिन्न अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था, जो अपराध की कुल आय 6.85 करोड़ रुपये के बराबर थी।